कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.)

विद्युत शाखा – साकेत भवन आई.टी.आई. चौक, कोरबा (छ.ग.)

मु.का. दूरभाष : 221288, 222672, फैक्स : 07759–221929, पो. बॉक्स नं. – 12 पिन कोड – 495677

Website : www. korbamunicipal.in, **Email :** Mck Eletricalsection@gmail.com

फा.क. / 1309,1263,1345 / विद्युत / 2025

कोरबा, दिनांक 27..02..2025

निविदा आमंत्रण सूचना

नगर पालिक निगम, कोरबा द्वारा निम्नलिखित कार्य कं. 01 हेतु छ.रा.वि.मडल, एवं छत्तीसगढ़ अनुज्ञापन मंड़ल (विद्युत) में उचित श्रेणी में विद्युतीकरण कार्य हेतु पंजीकृत / लाईसेंसी ठेकेदारों प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग (विद्युत) रायपुर द्वारा दिनांक 01.06.2020 से प्रभावशील दर अनुसूची पर,(निविदा खुलने के दिनांक तक समस्त संशोधनों के साथ) कम अधिक या समान प्रतिशत दरों पर,एवं कार्य कं. 02 एवं 03 हेतु व्यवसाय से संबंधित निविदकारों से शेड्यूल अनुसार आयटम दरों पर मैन्युअल निविदा कार्य कं. 01 हेतु निविदा फार्म 'ए' एवं कार्य कं. 02 एवं 03 हेतु निविदा फार्म 'बी' बेबसाईट से डाउनलोड कर त्रि–लिफाफा पद्वति के माध्यम से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है :–

क्रं.	कार्य का नाम	प्राक्कलन राशि	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्यावधि I	ठेकेदार का वर्ग	निविदा दस्तावेज (भाग–अ) खुलने की तिथि	निविदा दर (भाग–ब) खुलने की तिथि
1.	वार्ड कं. 54 अंतर्गत् स्नेह सदन भवन हेतु एल.ई.डी.डिस्प्ले बोर्ड प्रदाय एवं स्थापना कार्य। (निगम मद) (द्वितीय निविदा)	2,99,358 / –	3,000 / –	750 / –	01 माह	वर्ग अ– श्रेणी	18.03.2025	20.03.2025
1.	सेंट्रल स्टोर एवं राजीव गांधी ऑडिटोरियम टी.पी.नगर में सी.सी.टी.व्ही कैमरा प्रदाय एवं स्थापना कार्य। (निगम मद)(प्रथम निविदा)	1,92,050 / –	2,000 / –	300 / –	01 माह	–	18.03.2025	20.03.2025
1.	निगम क्षेत्रान्तर्गत् विभिन्न स्थानों में स्थापित सी.सी.टी.व्ही.कैमरा का मरम्मत कार्य। (निगम मद))(प्रथम निविदा)	3,96,500 / –	4,000 / –	750 / –	02 माह	–	18.03.2025	20.03.2025

शर्तें :–

1. कार्य कं. 01 हेतु निविदा दरे प्रचलित एस.ओ. आर. से कम या अधिक प्रतिशत दरों पर दिया जावे एस. ओ. आर. के अंतर्गत के आयटमों पर पृथक से आयटम दरों का उल्लेख करने पर निविदा निरस्त मानी जावेगी। एवं कार्य कं. 02 एवं 03 हेतु आयटम दरों पर दिया जावे।
2. निविदा के दस्तावेज हाथो–हाथ न लिया जाकर रजिस्टर्ड पोस्ट अथवा स्पीड पोस्ट से प्राप्त किया जावेगा। अन्य माध्यमों यथा कोरियर सर्विस तथा साधारण डाक इत्यादि से प्राप्त अथवा समयावधि के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर विचार नही किया जावेगा। निविदा, आयुक्त, नगर पालिक निगम आईटीआई चौक साकेत भवन, जिला–कोरबा (छ.ग.) पिन नं. 495677 के पते पर भेजना होगा। निर्धारित तिथि को 3.00 बजे के पश्चात प्राप्त निविदाएँ स्वीकार नही की जावेंगीं।
3. निविदा प्रपत्र नगर पालिक निगम कोरबा के बेबसाइड **:www.korbamunicipal.in.,oa www.uad.cg.gov.in** से डाउनलोड किया जाकर नवीन निविदा प्रपत्र **Form- A/B/ABC** (जारी दिनांक तक समस्त संशोधनो के साथ) निर्धारित निविदा प्रपत्र का शुल्क डी.डी. के साथ संबंधित कार्य का नाम पूर्ण विवरण सहित भरकर भेजना होगा।
4. निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु इच्छुक ठेकेदारों को आवेदन के साथ, साझेदारी फर्म हो तो उसका प्रमाण पत्र (पार्टनरशीप डीड) की सत्य प्रतिलिपि, पूर्व में इस प्रकार की किए गए कार्यों की प्रमाणित सूची, पिछले वित्तीय वर्ष का आयकर चुकता प्रमाण पत्र / पेन नम्बर पत्र एवं जी. एस.टी. का पंजीयन प्रमाण पत्र, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एवं राज्य कर्मचारी बीमा निगम रायपुर से पंजीयन, संबंधी प्रमाण पत्र एवं विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) हस्ताक्षरयुक्त निर्धारित प्रारूप में निविदा आमंत्रण सूचना पत्र के कंडिका क्र. 04 के अनुरूप लिफाफा (ए) में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा
5. निविदा प्रपत्र त्रि–लिफाफा पद्वति से मान्य किया जावेगा। जो निम्नानुसार होगा :–
   - अमानत राशि का वैध **FDR/TDR**, निविदा प्रतिभागी शुल्क का **DD** एवं शपथ पत्र (निर्धारित प्रारूप में) की मूल प्रति लिफाफा में कार्य का नाम एवं अन्य विवरण अंकित कर केवल स्पीड पोस्ट / रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से निविदा खुलने की तिथि में दोपहर 3.00 बजे तक आयुक्त,नगर पालिक निगम,कोरबा साकेत भवन, आई.टी.आई.चौक रामपुर कोसाबाड़ी पिन– 495677 कोरबा को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
   - निविदाकार को प्रत्येक निविदा में पंजीयन क्षमता के अंतर्गत वर्तमान में नगर निगम या अन्य विभागों में उनके द्वारा किये जा रहे कार्यों का विवरण राशि निर्धारित प्रारूप में वैध शपथपत्र (राशि रू. 100 / – नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प) निविदा आमंत्रण दिनांक के पश्चात का, निविदा कमांक एवं कार्य का नाम अंकित करना अनिवार्य होगा।
   - अमानत राशि का **FDR/TDR** एवं निविदा प्रतिभागी शुल्क का क्क जो कि आयुक्त, नगर पालिक निगम,कोरबा के नाम पर देय हो प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
6. निविदा उन्ही ठेकेदारों को दिया जावेगा,जिन्हें इस प्रकार के कार्यो का अनुभव होगा।
7. जिन निविदाकारों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम, रायपुर से पंजीयन कराकर कोड प्राप्त कर लिया हो वे निविदाकार ही निविदा हेतु पात्र होंगे।

क्रमशः....2

8. निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदारों को छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 एवं तद्अंतर्गत निर्धारित नियमों के तहत् पंजीयन कराना आवश्यक होगा तथा निर्माण लागत का 1 प्रतिशत उपकर के रूप में प्रत्येक देयक से कटौती की जावेगी।
9. निविदा की दरों में काफी कमी हो जैसे निविदादाता को निविदा दर एवं अनुमानित लागत से 10 प्रतिशत से अधिक निविदा दर होने पर सफल निविदादाता को निविदा दर एवं अनुमानित लागत के 90 प्रतिशत अंतर की राशि के समतुल्य परफार्मेस गारंटी के रूप में कार्य के अनुबंध संपादन के पूर्व राष्ट्रीयकृत बैंक का एफ.डी.आर./टी.डी.आर. ऑफिस अथवा टाईम डिपॉजिट जो कि आयुक्त नगर पालिक निगम कोरबा के नाम से देय होगा जो मांग तिथि से 15 दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होाग। उपरोक्त राशि को जमा न करने की दशा में निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
10. निगम मद के सम्पूर्ण किए गए कार्यों के प्रत्येक देयको में से 5 प्रतिशत सुरक्षा राशि 01 वर्ष की गारंटी के लिए एवं पृथक से 5 प्रतिशत परफारेमेंस सिक्यूरिटी की गारंटी के रूप में प्रत्येक देयकों में से 03 वर्ष के लिए रोकी जावेगी। जिसे कार्यपूर्णता के 01 वर्ष पश्चात सुरक्षा राशि एवं 03 वर्ष पश्चात परफारमेंस गारंटी की राशि को कार्य के सही स्थिति में होने पर वापस की जावेगी।
11. मरम्मत एवं संधारण मद के सम्पूर्ण किए गए कार्यों के प्रत्येक देयको में से 5 प्रतिशत सुरक्षा राशि 01 वर्ष की गारंटी के लिए रोकी जावेगी। जिसे कार्यपूर्णता के 01 वर्ष पश्चात सुरक्षा राशि कार्य के सही स्थिति में होने पर वापस की जावेगी।
12. शासन के विभिन्न विभागों जैसेः– खनिज विभाग, श्रम विभाग, समाज कल्याण विभाग इत्यादि विभागों द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशो/आदेशों के पालन की समस्त जिम्मेदारी संबधित ठेकेदार की होगी।
13. ठेकेदार यदि कार्य को अपूर्ण स्थिति में छोड़ता है तो निविदा प्रपत्र में उल्लेख अनुसार इस संबध में प्रावधान के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।
14. कार्य प्रारंभ नही करने अथवा अपूर्ण स्थिति में छोड़ने पर निगम द्वारा ठेकेदार के विरूद्ध तत् समय में एमआइसी द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के अधीन कार्यवाही की जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी ठेकेदार की होगी।
15. उक्त कार्य में लगे श्रमिको को विद्युत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, एवं किसी प्रकार से दुर्घटना होने की स्थिति में सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।
16. निविदा प्रपत्र फार्म –ए की कंडिका 11 अनुसार एस्कलेशन देय नहीं होगा।
17. ठेकेदार को निर्माण कार्य के दौरान निर्माण एवं अपशिष्ठ प्रबंधन नियम दिनांक 13.09.2017 में किये गये प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा।
18. ठेकेदार द्वारा संपादित किये गए कार्यों के देयकों का भुगतान बजट आबंटन और राशि उपलब्ध होने पर किया जावेगा।
19. निविदा अहस्तांतरणीय होगा एवं सशर्त निविदाओं पर विचार नही किया जावेगा।
20 निविदा के संबंध में किसी प्रकार की विवाद होने की स्थिति में आयुक्त का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
21. निविदा स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने अथवा निरस्त करने का अधिकार नगर पालिक निगम के पास सुरक्षित रहेगा।
22. उपरोक्त निविदा सूचना की विस्तृत जानकारी नगर पालिक निगम, कोरबा के साकेत भवन स्थित निर्माण शाखा से प्राप्त किये जा सकते है।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम
कोरबा (छत्तीसगढ़)

प्रतिलिपि–

प्रोग्रामर, संचालनालय, नगरीय प्रशाासन एवं विकास विभाग, रायुपर को uad.cg.gov.in में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ठेकेदार के हस्ताक्षर

नम –.....

पूर्णपता –.....

.....

मोबाईल नं.....

OFFICE OF THE MUNICIPAL CORPORATION, KORBA (C.G.)

ABSTRACT

Sub :- Repairing of Camera at Nigam Area.

No	Item of work	Qty	Rate	Amount
1	S/F of 6 MPIPBASED60MTRCCTV CAMERA	10 Nos		
2	S/F OF 8 PORTPOESWITCH100/1000 MBPSMAKETPLINK	10 Nos		
3	S/F OF SF PMODELCPORTMAKETP-LINK	10 Nos		
4	REPAIRING OF CABLE 6 CORE OF CCABLE MAKE - FINOLEX	2500 Mtr		
5	TESTING OF OFC CABLE SPLICING	All		
6	COMPLETE CAMERA AND TESTING SEVICES CHARGE	70000		
	Total Rs.			

Sub. Engineer
Municipal Corporation
Korba (C.G.)

Asst. Engineer
Municipal Corporation
Korba (C.G.)